**मध्यप्रदेश शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
"मंत्रालय"

क्रमांक एफ 1-1/2001/4(2)/रापुप्र/1 भोपाल, दिनांक 24 /03/2008

प्रति,

शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल।

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय- मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 (2) के तहत् भारत सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों को अंतिम रूप से आवंटित शासकीय सेवकों के लिए नियम/निर्देश जारी करने के संबंध में।

- - -

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्तिम आवंटन आदेश जारी किये गये हैं। इसके पश्चात् दोनों राज्यों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14/279/2002- एसआर (एस) दिनांक 8 जून 2006 में दिये गये निर्देश के पालन में दोनों राज्यों द्वारा विचार-विमर्श करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा अन्तिम रुप से आवंटित निम्नांकित कंडिका 1,2,3 में उल्लेखित श्रेणी के पात्र राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तरवर्ती एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. **महिला कर्मचारियों को राज्य परिवर्तन की सुविधा** - पूर्व में केन्द्र सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत जिन महिलाओं का राज्य आवंटन उनके विकल्प के विरुद्ध हुआ था उन्हें वापस उनके द्वारा चुने गये राज्यों में भेजने की कार्यवाही की जा चुकी है। फिर भी यदि कोई महिला अधिकारी/कर्मचारी अपने चुने गये राज्य में वापस जाने हेतु किन्ही कारणों से अभ्यावेदन नहीं दे सकी है तो वे अब आभ्यावेदन दे सकेंगी ।

   राज्य स्तरीय संवर्गों की महिला अधिकारी/कर्मचारी यदि स्थानांतरण के लिये आवेदन पत्र देती है तो दोनो राज्यों के संबंधित प्रशासकीय विभाग की सहमति से वांछित राज्य में स्थानांतरित होकर जा सकेंगी।

2. **चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीः-** चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उनके द्वारा चुने गये मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित विभाग वह जिस विभाग के हैं, में पद रिक्त होने पर स्थानान्तरित होकर जा सकेंगे।

3. **पति/पत्नि (Spouse) का स्थानांतरण** - पति/पत्नि (Spouse) एक राज्य में रह सके इस उद्देश्य से यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी आवेदन पत्र देता है, तो उसके आवेदन पत्र पर विचार किया जाये, चाहे उनमें से एक राज्य शासन/केन्द्र शासन के किसी पद पर पदस्थ/नियुक्त हो अथवा राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन के अधीन किसी उपक्रम (आयोग, बोर्ड, मण्डल, आदि) में पदस्थ/नियुक्त हो।

   इस संबंध में प्राप्त आवेदनों पर विचारोपरान्त, दोनों राज्यों के संबंधित प्रशासकीय विभाग की सहमति के उपरान्त आवेदक पति/पत्नी अधिकारी/कर्मचारी को उस राज्य (मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़) जहां पति/पत्नी कार्यरत है स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

4. उपरोक्त कंडिका 1,2,3 में उल्लेखित श्रेणी के मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण/संविलियन इस विभाग के द्वारा आपसी स्थानान्तरण के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 29.4.2005 में उल्लेखित अनुसार निम्नानुसार की जायेगी।

   (1) स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में कार्यग्रहण करने वाले शासकीय सेवक का संविलियन करते हुए उनकी सापेक्ष वरिष्ठता अखिल भारतीय सेवाओं की भांति मूल संवर्ग में उनकी नियुक्ति/पदोन्नति वर्ष के अनुसार अंत में निर्धारित की जावेगी। यथा शासकीय सेवक की उस संवर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति यदि वर्ष 1994 की है, तो स्थानांतरण पर आये शासकीय सेवक का नाम पदक्रम सूची में वर्ष 1994 के उस संवर्ग मे नियुक्त/पदोन्नत कुल शासकीय सेवकों के उल्लेखित अंतिम नाम के नीचे तथा वर्ष 1995 में नियुक्त/पदोन्नत शासकीय सेवकों के नामों से ऊपर रखा जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा किये गये अंतिम राज्य आवंटन के दिनांक 1 नवंबर 2000 के बाद शासकीय सेवक को उत्तरवर्ती राज्य में यदि पदोन्नति दी गई है और वे स्थानांतरण करना चाहते हैं तो उन्हें स्थानांतरण पर आये उत्तरवर्ती राज्य में अंतिम आवंटन के समय धारित पद पर पदावनत कर उसी संवर्ग में संविलियन किया जावेगा। स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्तरवर्ती राज्य में कार्यभार ग्रहण करने के बाद संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के संवर्ग में यदि वे पदोन्नति हेतु पात्रता रखते हैं तो इस पर विचार किया जा सकेगा और ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी की सापेक्ष वरिष्ठता अखिल भारतीय सेवाओं की भांति मूल संवर्ग में उनके नियुक्ति।पदोन्नति वर्ष के अनुसार वरिष्ठता सूची में अंत में निर्धारित की जावेगी, जैसा कि उपरोक्त क्रमांक 4.1 में उल्लेखित किया गया है।

5. स्थानांतरण के फलस्वरूप अधिकारी/कर्मचारी जिस उत्तरवर्ती राज्य में जायेगा, उस अधिकारी/कर्मचारी के पेंशन का उत्तरदायित्व संबंधित उत्तरवर्ती राज्य का होगा। अधिकारी/कर्मचारी के पेंशन दायित्वों का प्रभाजन मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की छठी अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

6. **स्थानांतरण यात्रा भत्ता:-** इन निर्देशों के तहत राज्य परिवर्तन के कारण स्थानांतरण के फलस्वरूप शासकीय सेवक को स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

7. **स्थानांतरण की प्रक्रिया:-**

(1) स्थानांतरण के इच्छुक एवं पात्र राज्य स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा आवेदन पत्र जिस राज्य में वह पदस्थ थे, उस राज्य के प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा।

(2) मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासकीय विभाग का विभागाध्यक्ष ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर, उसे अपने अभिमत/अनुशंसा सहित, संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित करेगा। उक्त राज्य का प्रशासकीय विभाग जहां संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं, के द्वारा उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित प्रशासकीय विभाग से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, स्थानांतरण संबंधी आदेश उपरोक्त शर्तों के अधीन जारी किया जावेगा।

(3) मध्यप्रदेश/ छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी संबंधित राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् परीक्षण उपरान्त म.प्र./ छ.ग. शासन का सामान्य प्रशासन विभाग, जहाँ उक्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, के द्वारा उत्तरवर्ती राज्य जहां अधिकारी/कर्मचारी जाना चाहते हैं, के सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति

प्राप्त करने के उपरान्त स्थानान्तरण आदेश उपरोक्त शर्तों के अधीन जारी किया जावेगा।

8. इस परिपत्र की कंडिका 4(1)(2) मे उल्लेखित अनुसार स्थानान्तरण के फलस्वरुप संविलयन/ वरिष्ठता के संबंध में पृथक से नियम बनाये जायेंगे।

9. **इन निर्देशों के तहत राज्य परिवर्तन संबंधी स्थानान्तरण आवेदक द्वारा जिस राज्य में स्थानान्तरण चाहा जा रहा है, उस राज्य में आवेदक के संबंधित विभाग में संबंधित संवर्ग में रिक्त पद उपलब्ध होने की दशा में ही किया जा सकेगा।**

10. **यह निर्देश जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेगें।**

(एस. डी. अग्रवाल) 24/3/08
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र)

पृ. क्रमांक एफ 1-1/2001/4(2)/रापुप्र/1 भोपाल, दिनांक 24 /03/2008
प्रतिलिपि

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ), मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक एफ 1-1/2003/1-7 दिनांक 15.10.2007 के संदर्भ में समान कार्यवाही एवं निर्देश प्रसारित करने हेतु अग्रेषित।

(एस. डी. अग्रवाल) 24/3/08
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (रा.पु.प्र.)